न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश परासिया, जिला छिंदवाड़ा
(म.प्र.)
(समक्ष :: गौतम कुमार गुजरे)

बी.ए. कमांक : 99/2025

डॉ. प्रवीण सोनी पिता स्व. शंकरलाल सोनी उम्र करीब 63 साल निवासी–वार्ड नं. 10 स्टेशन रोड परासिया, थाना व तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)	आवेदक/ अभियुक्त
विरूद्ध	
म0प्र0राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र परासिया, जिला छिंदवाड़ा म0प्र0	अनावेदक/ अभियोजन

08–10–2025

आवेदक/अभियुक्त द्वारा श्री पवन कुमार शुक्ला अधिवक्ता उप0।
राज्य द्वारा श्री दुर्गेश विश्वकर्मा ए0जी0पी0।

थाना परासिया जिला छिंदवाड़ा के अप0क0 296/2025 धारा–105, 276 भा०न्या०सं० एवं धारा 27 (ए) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की पुलिस केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त।

विचारण न्यायालय से उक्त अपराध की रिमाण्ड पत्रावली भी प्राप्त।

उभयपक्ष को जमानत आवेदन पत्र पर सुना गया।

इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन पत्र धारा–483 भा0ना0सु0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन का सार यह है कि आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में है। वह निर्दोष है, उसे तकनीकी आधारों पर प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है। उसका कथित अपराध से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। दिनांक 04.10.2025 को मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोल्डरिफ कफ सायरप की बिक्री प्रतिबंधित किये जाने के पूर्व तक उक्त कफ सायरप का विगत करीब 15–20 वर्षों में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा ईलाज में उपयोग हेतु सम्यक रूप से अनुमोदन व अनुसंशा रही है। दवा निर्माता श्रीसन फार्मास्यूटीकल कंपनी उक्त कफ सायरप के उत्पादन, अपमिश्रण एवं उसके संबंध में पायी गयी सभी खामियों के लिए जिम्मेदार है। आवेदक कोल्डरिफ कफ सायरप का निर्माता/उत्पादनकर्ता, स्टाकिस्ट एवं वितरक या विक्रेता नहीं है। आवेदक के चिकित्सक संबंधी कर्तव्य निर्वहन के दौरान उपचार करने के फलस्वरूप धारा 105 भा.न्या.सं. में वर्णित एवं उपबंधित प्रावधान प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होते है। आवेदक जमानत पर रिहा होना चाहता है जिस हेतु वह सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने एवं न्यायालय द्वारा लगायी जाने वाली समस्त शर्तों के पालन हेतु तैयार है। अतः उसे नियमित जमानत का लाभ दिया जाये।

आवेदन पत्र के साथ, यह आवेदन प्रथम जमानत आवेदन होने एवं इस आशय का अन्य कोई आवेदन पत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित या निराकृत न होने संबंधी अंशुल सोनी पिता गोपाल प्रसाद सोनी का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही आवेदक/अभियुक्त की ओर से तर्क के दौरान लेख सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये गये है।

राज्य की ओर से ए0जी0पी0 ने विरोध करते हुए तर्क में बताया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह जानकारी होने पर भी कि संबंधित दवा से बच्चों की मृत्यु हो रही है और 4 साल से कम उम्र के बच्चों को उक्त प्रीस्क्रीप्शन की दवा नहीं दी जा सकती है, तब भी उपेक्षा, लापरवाही से उक्त प्रीस्क्रीप्शन का कार्य किया गया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

तर्कों पर विचार किया गया।

केस डायरी का परिशीलन किया गया।

प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य अनुसार दिनांक 04.10.2025 को डॉ. अंकित सहलाम बी.एम.ओ. सी.एच.सी. परासिया द्वारा थाना परासिया के समक्ष औषधिक कोल्डरिफ में विषैले मिलावटी पदार्थ डाई ईथीलीन ग्लाइकोल के कारण बच्चों की मृत्यु होने के कारण प्राथमिकी दर्ज किये जाने बाबत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि अनुभाग परासिया अंतर्गत 5 साल से कम के बच्चे सामान्य सर्दी, खांसी या बुखार की शिकायत के साथ अधिकांश बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी शिशु रोग विशेषज्ञ सीएचसी परासिया के शासकीय चिकित्सक को दिखाया गया जिनके द्वारा कफ सिरप एवं अन्य दवा बच्चों को दी गयी जिसके कुछ समय पश्चात कुछ बच्चों को पेशाब रूकने की शिकायत आई जो रिपोर्ट में सीरम क्रियेटिनिन एंव सीरम युरिया बढ़ा हुआ पाया जाने से किडनी की समस्या होने से परासिया से रेफर किया गया जो बाद में उपचार हेतु नागपुर में भर्ती हुए। सर्वप्रथम शिवम राठौर उम्र 4 वर्ष पहली बार दिनांक 24.08.2025 को बुखार, खांसी से पीड़ित होने से डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखा गया जो दिनांक 29.08.2025 को नागपुर ईलाज हेतु आगे गया जहां पर दिनांक 04.09.2025 को बालक की किडनी खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गयी। दिनांक 05.09.2025 को विधि नमिता आयु 3 वर्ष जो दिनांक 03.09.2025 को डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया जो दिनांक 05.09.2025 को नागपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मृत्यु हुई। अदनान को पहली बार दिनांक 21.08.2025 को बुखार आने पर डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया जिसकी पेशाब रूकना और उपचार के दौरान नागपुर में दिनांक 07.09.2025 को मुत्यु हुई। उसैद उम्र 4 वर्ष दिनांक 25.08.2025 को बुखार आने पर डॉक्टर प्रवीण सोनी और डॉक्टर अमन सिद्धीकी को दिखाना जिसे किडनी की समस्या होने के कारण नागपुर में उपचार के दौरान दिनांक 13.09.2025 को मृत्यु हुई। रिषिका आयु 5 वर्ष दिनांक 25.08.2025 को बुखार आने पर डॉक्टर अमित ठाकुर को दिखाना एवं किडनी समस्या के कारण ईलाज के दौरान दिनांक 15.09.2025 को मृत्यु हुई। हिमांशु उम्र 5 वर्ष दिनांक 29.08.2025 को उल्टी पेट दर्द की शिकायत होने पर डॉ. प्रवीण सोनी को दिखाया जिसे किडनी की समस्या होने पर नागपुर में दिनांक 19.09.2025 को मृत्यु हो गयी। चंचलेश दिनांक 16.09.2025 को सर्दी खांसी और बुखार होने पर डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया

जिसकी दिनांक 26.09.2025 को नागपुर में ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। विकास दिनांक 19.09.2025 को बुखार और किडनी की समस्या पश्चात डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया जिसकी दिनांक 26.09.2025 को ईलाज के दौरान नागपुर में मृत्यु हुई। संध्या दिनांक 19.09.2025 को सबसे पहले मोरडोंगरी में फिर डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया जिसकी दिनांक 01.10.2025 को मृत्यु हुई, योगिता उम्र 2 वर्ष पहली बार बुखार दिनांक 06.09.2025 को डॉक्टर ठाकुर तथा दिनांक 09.09.2025 को डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया गया जिसकी ईलाज के दौरान दिनांक 04.10.2025 को नागपुर में मृत्यु हुई। वर्तमान में 6 बच्चे किडनी संबंधी बीमारी के लिए नागपुर में उपचाररत है। सभी बच्चों में शुरूआती लक्षण सर्दी खांसी और बुखार, अधिकांश बच्चों की आयु 5 वर्ष के आसपास है। अधिकांश बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया गया है। सर्दी, खांसी, बुखार के कुछ दिनों के बाद पेशाब रूकना और एक्युट किडनी डिसोडर होना, अधिकांश बच्चों द्वारा कोल्डरिफ सीरप को उपचार में दिया गया है। टेस्ट रिपोर्ट में विकास यदुवंशी की जीएमसी नागपुर में उपचार के दौरान दिनांक 24.09. 2025 को किडनी बायोपसी की गयी जिसमें एक्युट ट्यूब्युलर इंज्युरी पायी गयी। इस प्रकार दिनांक 04.10.2025 तक कुल 10 बच्चों की मृत्यु एक्युट किडनी डिसीज के कारण हो चुकी है तथा 6 बच्चे अभी भी उपचार हेतु नागपुर में भरती है। दिनांक 04.10.2025 को दवाओं की जांच संबंधी रिपोर्ट ड्रग टेस्टिंग लैबोरिटी तमिलनाडु की रिपोर्ट में डाई ईथीलीन ग्लाइकोल **48.6% W/V** होना एवं शासकीय औषधि प्रयोग शाला भोपाल से प्राप्त हुई जिसमें परीक्षण हेतु भेजे गये सैंपल में डाई ईथीलीन ग्लाइकोल **48.6% W/V** होना पाया गया जो चैक किये गये सैंपल डाई ईथीलीन ग्लाइकोल से एडलट्रेट होकर दूषित पाये गये एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मिलावटी पदार्थ डाई ईथीलीन ग्लाइकोल स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है, जिसकी वजह से एक्युट किडनी फेलियर हो सकता है और बच्चों की मौत हो रही है। चूंकि डाई ईथीलीन ग्लाइकोल सीरप में प्रतिबंधित पदार्थ है। उक्त दवा निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मासीटिवकल मेनुफ्रेक्चर **No. 787 Bangalore Highwaya, Sunguvarchatram (Mathura) Kancheepurm Dist-602106** के संचालकगण, डॉक्टर प्रवीण सोनी परासिया जिला छिन्दवाड़ा एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा खतरनाक मिलावटी दवा जिससे किसी बच्चे की मृत्यु हो सकती है यह जानते हुए ऐसी दवा बनाना तथा अल्प आयु के बच्चों को दिया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर थाना परासिया जिला छिन्दवाड़ा में दवा निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मासीटिवकल मेनुफ्रेक के संचालकगण/दवा निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मासीटिवकल मेनुफ्रेक के संचालकगण, आवेदक/अभियुक्त डॉ. प्रवीण सोनी एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्र. 296/2025 अंतर्गत धारा–105, 276 भा०न्या०सं० एवं धारा 27 (ए) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया है, आवेदक/अभियुक्त शासकीय चिकित्सक होकर उसके द्वारा मात्र ईलाज के दौरान बच्चों को उक्त दवाई प्रीस्क्राईप्ट की गयी है,

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 105 के उपबंध लागू नहीं होते है। उक्त दवाई की विशेष खेप में कंपनी के द्वारा अमानक पदार्थ मिश्रित किया गया है जिसकी जानकारी आवेदक/अभियुक्त को नहीं रही है। आवेदक करीब 35–40 वर्षों से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है उसके द्वारा जानबूझकर प्रीस्क्रीप्शन नहीं लिखा गया है। उक्त दवाई की जांच किये जाने की जिम्मेदारी ड्रग कन्ट्रोलर विभाग की थी तथा बिना किसी आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है, जबकि अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है। आवेदक के द्वारा उक्त दवा का विक्रय भी नहीं किया गया है। आवेदक को तकनीकी आधार पर मामले में संलिप्त किया गया है। आवेदक एक प्रतिष्ठित चिकित्सक है। उक्त दवा अपमिश्रण के लिए दवा निर्माता कंपनी ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टांत जैकअप मैथयू विरूद्ध स्टेट, एस.सी.आर. 2005 (2) के आलोक में तर्क में बताया है कि बिना किसी जांच के अभियुक्त पर अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता है तथा कंपनी के द्वारा प्रक्रिया के माध्यम से दवा की जांच कर विक्रय हेतु भेजी जाती है जिसमें आवेदक/अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं है किन्तु उक्त तथ्य साक्ष्य की विषय वस्तु है। इस प्रक्रम पर साक्ष्य का विश्लेषण एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाना अपेक्षित नहीं है।

आरक्षी केंद्र परासिया की ओर से प्रेषित प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त डॉ. प्रवीण सोनी द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालाय द्वारा दिनांक 18.12.2023 को सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में गाईडलाईन जारी कर निर्देशित किया गया कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (FDC) नहीं दिया जाये फिर भी डॉक्टर प्रवीण सोनी द्व ारा यह जानते हुए कि उनके द्वारा दी जा रही दवाईयों व कोल्डरिफ सायरप के सेवन के बाद बच्चों में पेशाब रूकना और गंभीर रूप से बीमार होने एवं किडनी इंफेक्शन की समस्या हो रही है उसके बाद भी अन्य बच्चों को भी खतरनाक व जानलेवा कोल्डरिफ सायरप अनेक बच्चों को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का हेवी डोज दिया गया जिससे बच्चों की ईलाज के दौरान मृत्यु हुई। आवेदक/अभियुक्त डॉ. प्रवीण सोनी द्वारा घटना दिनांक से साधारण बीमार बच्चों का ईलाज लगातार किया गया है जिसमें वर्तमान में 15 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अभियुक्त ने अपने मेमोरेंडम कथन में बताया है कि कोल्डरिफ सायरप बच्चों की दवाई के रूप में लिखने के लिए कंपनी द्वारा 10 प्रतिशत कमीशन उसे दिया जाता था। आवेदक/अभियुक्त डॉ. प्रवीण सोनी के निजी क्लीनिक के बाजू में ही उनके सगे संबंधियों का मेडिकल है। खतरनाक कोल्डरिफ सायरप का स्टॉकिस्ट छिन्दवाड़ा में डॉ. प्रवीण कुमार सोनी के परिवार के सदस्य का ही है। प्रकरण की विवेचना एवं विस्तृत जांच हेतु एस. आई.टी. टीम का गठन किया गया है जो वर्तमान में तमिलनाडु दवा निर्माता कंपनी श्रीसन के संबंध में विवेचना हेतु गयी है।

मामले में संकंलित साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित अपराध के दृढ़ आधार प्रकट हैं। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अन्य व्यक्तियों के द्वारा खतरनाक मिलावटी दवा जिससे किसी बच्चे की मृत्यु हो सकती है यह जानते हुए ऐसी दवा बनाना तथा अल्प आयु के बच्चों

को दिया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है तथा घटना की जानकारी होने के उपरांत भी संबंधित प्रीस्क्रीप्शन की दवा दिया जाना भी प्रकट किया गया है तथा संबंधित दवा भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालाय द्वारा दिनांक 18.12.2023 को सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में गाईडलाईन जारी कर निर्देशित किया गया कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (FDC) नहीं दिये जाने के उपरांत भी प्रीस्क्रीप्शन दिया जाना उल्लेखित किया गया है। प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही अपूर्ण है, अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके द्वारा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः अभियुक्त **डॉ. प्रवीण सोनी पिता स्व. शंकरलाल सोनी, उम्र करीब 63 साल, निवासी–वार्ड नं. 10 स्टेशन रोड परासिया, थाना व तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–483 भा0ना0सु0सं0 अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

केस डायरी मय आदेश की प्रति के आरक्षी केंद्र परासिया को वापस की जावे तथा रिमांड पत्रावली मय आदेश की प्रति के संबंधित न्यायालय को वापस की जावे।

जमानत आवेदन का परिणाम दर्ज कर जमानत प्रपत्र अभिलेखागार में संचित किये जाये।

(गौतम कुमार गुजरे)
अपर सत्र न्यायाधीश परासिया,
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

प्रतिलिपि :– 1. श्री शैलेंद्र उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया, जिला छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. थाना प्रभारी, थाना परासिया जिला छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(गौतम कुमार गुजरे)
अपर सत्र न्यायाधीश परासिया,
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

GAUTAM KUMAR GUJRE

Digitally signed by GAUTAM KUMAR GUJRE
Date: 2025.10.08 18:07:14 +0530